



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S478/09-06-002/2025-2026

14 जुलाई, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम (25 और 26 अगस्त, 2025)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे 25 और 26 अगस्त, 2025 के दौरान सीएबी परिसर, पुणे में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और लघु वित्त बैंकों सहित) और ग्रामीण सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- कृषि हानियों को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में कटाई-पश्चात प्रबंधन अवसंरचना के महत्व की समझ विकसित करना।
- भंडारण, रसद और प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के बारे में जानकारी हासिल करना।
- कटाई-पश्चात अवसंरचना में निवेश के मूल्यांकन और संरचना के लिए वित्तीय मॉडल और उपकरण सीखना।
- बैंकिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत कटाई-पश्चात अवसंरचना के वित्तपोषण का समर्थन करने हेतु रणनीतियों पर पहुँचने के लिए समझ विकसित करना।

3. स्थान और आवास

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी कार्यक्रम की पूर्व संध्या को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन पर प्रस्थान कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि, ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA

Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

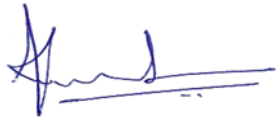
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से कृषि वित्त से संबंधित उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन 14 अगस्त 2025 को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि नामांकन First Come First Served Basis (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।

6. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से nomination.ami@rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	25 और 26 अगस्त, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14 अगस्त 2025
CAB में रिपोर्टिंग	24 अगस्त 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	26 अगस्त 2025 को शाम 06.00 बजे

सादर



(सचिन कांबले)

उप महाप्रबंधक

कार्यक्रम निदेशक

Contact: 8108331115

Email ID- sachinkamble@rbi.org.in

Encl.: As above

Broad Course Content

Module 1: Overview of Post-Harvest Management Infrastructure in India

- Components of post-harvest management: Warehousing, cold storage, transportation, and processing units.
- Status of PHM Infra in India and issues and challenges
- Government initiatives to promote PHM
- Economic and social impact of post-harvest infrastructure on agricultural value chains.
- Discussion: Identifying key post-harvest gaps.

Module 2: Post-Harvest Infrastructure Financing

- Overview of PHM infrastructure needs and gaps for various sectors and geographies
- Financing needs: Capital expenditure, working capital, and maintenance costs - Tools for project appraisal: ROI, NPV, IRR analysis, etc.
- Financing of the PHM infra – Capital and recurring capital needs, assessment of technical and financial viability of logistics, primary and secondary processing projects

Module 3: Stakeholders' role in the PHM infra and convergence

- Structuring financing models: Public-private partnerships, lease financing, and equity investments.
- Role of collectives and value chain financing approach.
- Lessons learned and replicable models for financial institutions.
- Group discussion: Key takeaways from case studies and potential adaptations for participants' banks, arriving at a bank-specific strategy to finance post-harvest infrastructure.

फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण पर कार्यक्रम
(25 और 26 अगस्त, 2025)

Fee Structure

Group	Type	Fees per participant	18% GST	Total fees to be paid per participant (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	Residential	12100	2178	14278
	Non-residential	8000	1440	9440
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, LABs, State Cooperative Banks and NBFCs	Residential	9100	1638	10738
	Non-residential	6000	1080	7080
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, SFBs, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	Residential	6100	1098	7198
	Non-residential	4000	720	4720

Please use the programme code AMI-25082025 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।